

दिनांक-29.01.2025 को कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार पटना की अध्यक्षता में हुई चिकित्सा पर्षद की बैठक में बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के ईलाज हेतु स्वीकृति/घटनोत्तर स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही।

बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राज्य से बाहर ईलाज कराने की अनुमति/घटनोत्तर स्वीकृति देने हेतु **दिनांक-29.01.2025** को **पूर्वाह्न 10:30 बजे** निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना के अध्यक्षता में उनके कक्ष में चिकित्सा पर्षद की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्न सदस्य शामिल हुए।

1. डा० कांति कुमारी – संविदा, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, दीघा, पटना।
2. डा० रानी देवी – आयुष बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, हाथिदह, पटना।

चिकित्सा पर्षद के द्वारा निम्न बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राज्य से बाहर चिकित्सा के अनुशंसा/अनुमति एवं करायी गयी चिकित्सा की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया, जो इस प्रकार है:-

क्र० सं०	बीमित व्यक्ति का नाम श्री/श्रीमती	बीमा संख्या	अभ्युक्ति
1.	सुष्मा कुमारी, कटिहार, चि०	4216114757	Cancer जैसे गंभीर बीमारी का ईलाज TMC, Mumbai में कराया गया है। अतः घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)
2.	नरेन्द्र कुमार पाठक, बंजारी (रोहतास), चि०	4215518184	Gallbladder का ऑपरेशन Geeta Hospital, Varanasi में अचानक पेट में दर्द प्रवास के दौरान के क्रम में हुआ है। अतः घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही हिदायत दी जाती है कि आगे से बीना स्वीकृति राज्य से बाहर ईलाज नहीं कराने की सलाह दी जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)
3.	राकेश कुमार सिंह, कहलगाँव, भागलपुर चि०	4215161136	Absent
4.	पप्पु कुमार, गया, चि०	4216123298	Traumatic & # of L3 Vertebrae Paraparesis के कारण Emergency में Rainbow Hospital, Gaya में भर्ती हुए। इन्हें BHU Hospital Trauma & Centre U.P Refer किया और ईलाज सही प्रतीत होता है। अतः घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)
5.	अशोक कुमार पाल, लहेरी टोला, भागलपुर, चि०	4215677341	Cerebral Atrophy कोई गम्भीर बीमारी नहीं है और जिस दिन ईलाज कराया प्रवास के दौरान इन्होंने न तो कहीं से Refer है न ही अपने कार्य स्थल से छुट्टी का प्रमाण है। अतः इन्हें सलाह दी जाती है की पुनः सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ अगली मेडिकल बोर्ड में उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है। (निर्णय- निदेशित)
6.	रूपेश कुमार, जमालरोड़, चि०	4215572361	इनका ईलाज CMC Vellore में चल रहा है और इन्हें पुनः जाँच हेतु जाना पड़ता है। अतः इन्हें पुनः CMC Vellore Nephrology Post Transplant Chekup की अनुशंसा प्रदान की जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)

7.	राम नाथ राय, हाजीपुर, चि०	6934959245	चूँकि मरीज V2 Company में ड्राइवर है और वाराणसी प्रवास के दौरान Accident हो गया। अतः Shiv Nath Hospital Pvt. Ltd. Varanasi में ईलाज हुआ। जो कि सही प्रतीत होता है। अतः घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। (निर्णय— स्वीकृत)
8.	नेहा कुमारी, लहेरी टोला, भागलपुर, चि०	4216549759	Cancer जैसे गम्भीर बीमारी को देखते हुए। इनका ईलाज सही प्रतीत होता है। अतः घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। (निर्णय— स्वीकृत)

शर्त:-

हितलाभ कि पात्रता नहीं होने पर चिकित्सा पर्षद द्वारा प्रदान की गयी उपरोक्त स्वीकृति/घटनोत्तर स्वीकृति निरस्त माना जायेगा।

ह०/-

(डा० ब्रजनन्दन प्रसाद)

निदेशक, चिकित्सा सेवायें

ज्ञाप संख्या-एसीस-03/नि०-56/2015-Vol-XI-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- संबंधित प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय एवं संबंधित बीमित व्यक्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक, चिकित्सा सेवायें

ज्ञाप संख्या-एसीस-03/नि०-56/2015-Vol-XI- 97

पटना, दिनांक- 31/01/25

प्रतिलिपि- आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

31.01.25

निदेशक, चिकित्सा सेवायें